दलाराम बनाम तहसीलदार नोखड़ा
2024 / 402
निर्णय दिनांकः–17.01.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2024 / 402 दर्ज तिथिः–09.09.2024

1. दलाराम पुत्र गोरखा
2. पदमाराम पुत्र गोरखा
   जाति जाट निवासी नोखड़ा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा (भू0अ0) जिला बाड़मेर

...........अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री ठाकराराम
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–17.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः–
   - खातेदारी आराजी खसरा संख्या 871 / 748 / 6.7505 है0 मौजा नोखड़ा तहसील नोखड़ा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी खसरा संख्या 874 / 748 में से प्रार्थीगण द्वारा रकबा 0.2428 है0 भूमि राज्य सरकार के पक्ष में रास्ते हेतु समर्पित की। उक्त समर्पित की गई भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर रास्ते हेतु समर्पित भूमि को खसरा संख्या 870 / 748 / 0.2428 है0 आवंटित कर दर्ज रिकॉर्ड किया गया।
   - कि उक्त समर्पणशुदा खसरा संख्या 870 / 748 मौके पर रास्ते हेतु उपयोग में आ रहा है। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा समर्पणशुदा भूमि की तरमीम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:26 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान चलायमान रास्ते से भिन्न राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दी। जिससे मौके पर चलित रास्ते एवं नक्शा लट्ठा ट्रैस में भिन्नता आ गई।

2. असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अंत में प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु समर्पणशुदा खसरा संख्या 870/748 की तरमीम वर्तमान चलित रास्ता अनुसार लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन भू–नक्शा में तरमीम दुरूस्त की जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1858 दिनांक 12.12.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:–

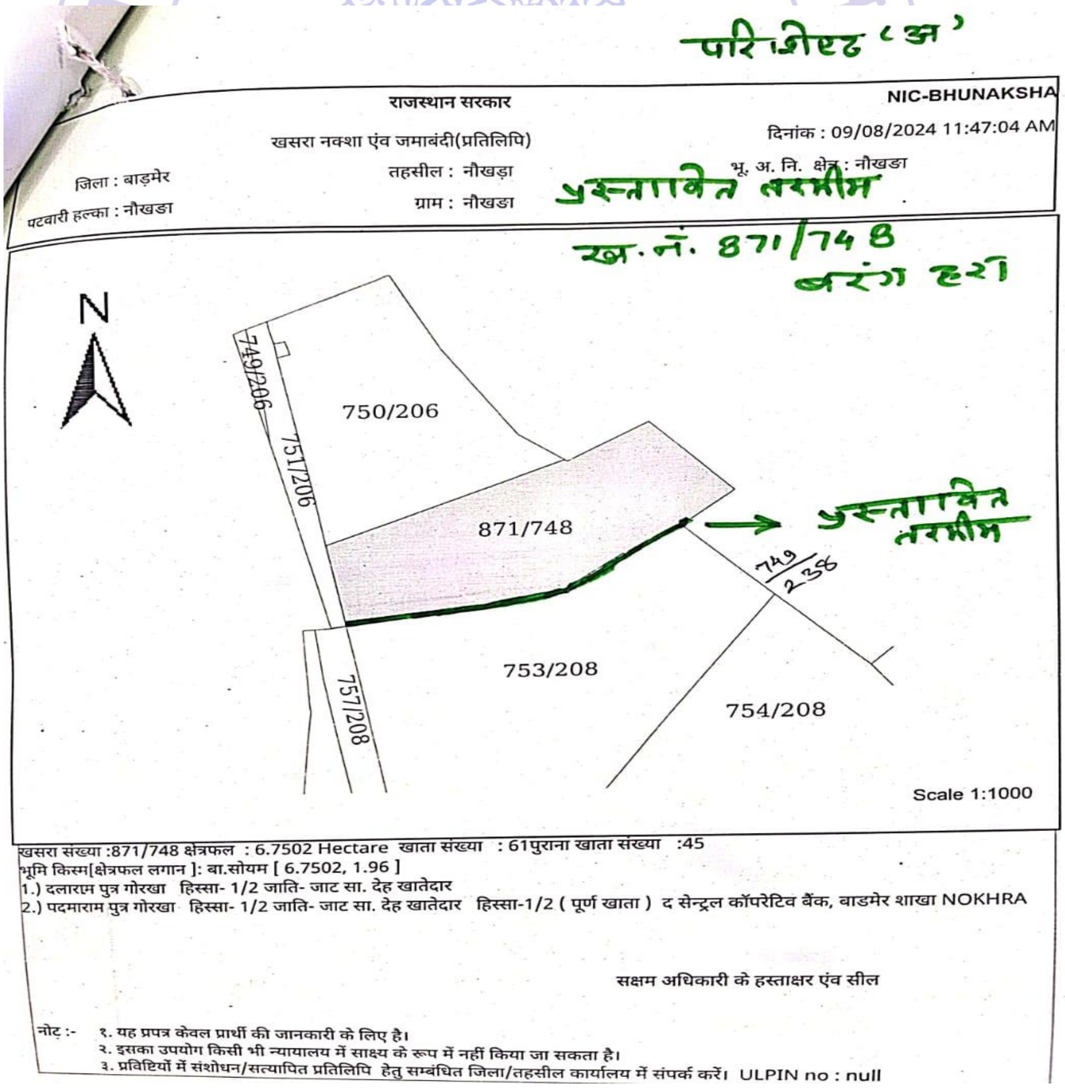
परिशिष्ट 'अ'
राजस्थान सरकार
NIC-BHUNAKSHA
खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)
दिनांक : 09/08/2024 11:47:04 AM
जिला : बाड़मेर
तहसील : नौखड़ा
भू. अ. नि. क्षेत्र : नौखडा
पटवारी हल्का : नौखडा
ग्राम : नौखडा
प्रस्तावित तरमीम
ख.नं. 871/748
बरंग हरा

खसरा संख्या :871/748 क्षेत्रफल : 6.7502 Hectare खाता संख्या : 61पुराना खाता संख्या :45
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [6.7502, 1.96]
1.) दलाराम पुत्र गोरखा हिस्सा- 1/2 जाति- जाट सा. देह खातेदार
2.) पदमाराम पुत्र गोरखा हिस्सा- 1/2 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) द सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, बाडमेर शाखा NOKHRA

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:26 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1858 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1858 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

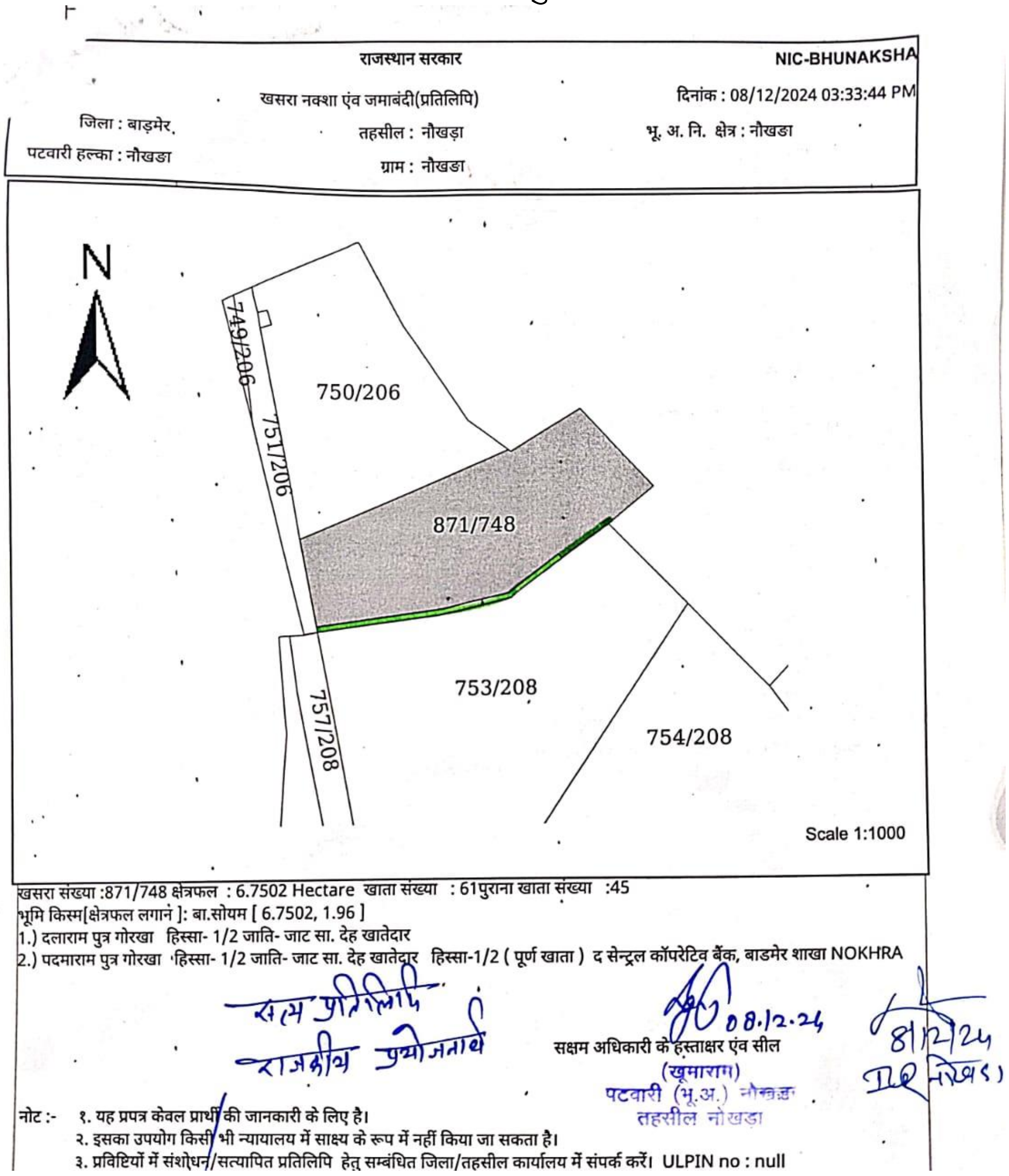
राजस्थान सरकार NIC-BHUNAKSHA
खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) दिनांक : 08/12/2024 03:33:44 PM
जिला : बाड़मेर, तहसील : नौखड़ा भू. अ. नि. क्षेत्र : नौखडा
पटवारी हल्का : नोखडा ग्राम : नौखड़ा

खसरा संख्या :871/748 क्षेत्रफल : 6.7502 Hectare खाता संख्या : 61 पुराना खाता संख्या :45
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगानं]: बा.सोयम [6.7502, 1.96]
1.) दलाराम पुत्र गोरखा हिस्सा- 1/2 जाति- जाट सा. देह खातेदार
2.) पदमाराम पुत्र गोरखा हिस्सा- 1/2 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) द सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, बाडमेर शाखा NOKHRA

सत्य प्रतिलिपि
राजकीय प्रयोजनार्थ

08.12.24
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील
(खूमाराम)
पटवारी (भू.अ.) नोखड़ा
तहसील नोखड़ा

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1858 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—
    1. कि प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट—अ में दर्शित (प्रस्तावित) भूमि से भिन्न तरमीम अंकित की गई है।
    2. कि परिशिष्ट—अ में हरे रंग से दर्शित भूमि पर वर्तमान में रास्ता चालू है।
    3. कि समर्पण आदेश से भिन्न तरमीम अंकित की गई है।
    4. कि समर्पण आदेश में प्रस्तावित अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:26 IST
Reason: SelfAttested

5. कि समर्पण आदेश में प्रस्तावित अनुसार तरमीम दुरूस्त किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

8. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1858 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1858 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1858 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2024/1858 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:26 IST
Reason: SelfAttested